श्री कामेश्वर सिंह "सहायक प्रोफेसर"
राजनीति विज्ञान, रोहतास महिला कालेज सासाराम
वर्ग - बी०ए० पार्ट-III 'प्रतिष्ठा'; पत्र - VI
राजनीतिक विचारक - डॉ० पुखराज जैन
यूनिट न० - 27; दिनांक - 15-05-2020,

Q. रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें।

A- सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि समझौते क्यों होते हैं? किन कारणों से लोग समझौता करते हैं? समझौते की आवश्यकता क्यों पड़ती है? प्रत्येक समझौतावादी चिंतक ने समझौते का अलग-अलग कारण बताया है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की अराजक एवं असुरक्षित स्थिति से त्राण (राहत) पाने के लिए लोग परस्पर समझौता करते हैं। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में प्रचलित प्राकृतिक नियमों की अस्पष्टता को दूर करने के लिए समझौता किया जाता है। रूसो के अनुसार व्यक्तिगत सम्पत्ति से उत्पन्न सामाजिक विषमता एवं अन्य बुराईयों के उन्मूलन के लिए मानवजाति को नष्ट होने से बचाने के लिए एवं एक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए समझौता किया जाता है।

समझौता का स्वरूप — रूसो के अनुसार सामाजिक समझौता द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों सहित अपने को संपूर्ण समाज के समक्ष अर्पित कर देता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार को किसी व्यक्ति विशेष को अर्पित न कर समस्त समाज को अर्पित करता है। इस समझौते द्वारा पृथक व्यक्तियों के स्थान पर एक नैतिक और सामूहिक निकाय का जन्म होता है। जिसका अपना जीवन होता है, अपनी इच्छा होती है एवं अपनी सत्ता और एकता होती है। समस्त व्यक्तियों से निर्मित यह नैतिक निकाय जब निष्क्रिय रहता है, तो राज्य कहलाता है, जब सक्रिय होता है, तब संप्रभु कहलाता है।

इस परिवर्तन के फलस्वरूप मनुष्य के स्वभाव में महान परिवर्तन होता है। जहाँ प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य नैसर्गिक प्रवृतियों द्वारा निर्देशित होता था, नागरिक समाज में न्याय द्वारा निर्देशित होता है। इसके परिणामस्वरूप उसमें नैतिकता का संचार होता है। नागरिक समाज में मनुष्य की प्रतिभा मुखरित होती है, उसके विचारों का विस्तार होता है, उसकी भावना उत्कृष्ट होती है एवं उसकी आत्मा ऊँची उठती है। इसतरह जिसप्रकार

अरस्तु ने समाज के बिना मनुष्य को पशु कहा और जिसप्रकार Burke ने समाज के बिना मनुष्य को ग्रीष्मकालीन मक्खी की संज्ञा दी। उसीप्रकार रूसो की भी मान्यता है कि नागरिक समाज में व्यक्ति अपने मनुष्यत्व को प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में नागरिक बनने के बाद ही व्यक्ति मनुष्य बनता है।

समझौते की विशेषताएँ — उपर्युक्त विवरण से रूसो की सामाजिक समझौते की विशेषतायें स्पष्ट हो जाती है।

(1) समझौता द्वारा प्रत्येक सदस्य अपने समस्त अधिकारों और शक्तियों को संपूर्ण समाज के समक्ष समर्पित कर देता है। च्यूंकि यह नियम सभी पर समान रूप से लागू होता है, इसलिए किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है।

(2) इस समझौते द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को लाभ ही होता है, हानि नहीं क्योंकि जो कुछ वह सबको देता है, उसे वह संपूर्ण समाज का अभिन्न अंग होने के नाते प्राप्त भी कर लेता है। इसप्रकार समझौते से प्रत्येक व्यक्ति को लाभ होता है।

(3) सामाजिक समझौते द्वारा मनुष्य अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता को खोकर नागरिक ~~समझौता~~ स्वतंत्रता प्राप्त करता है। यह स्वतंत्रता सच्ची स्वतंत्रता होती है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति अपने उपर नियंत्रण भी रखता है।

(4) जहाँ हॉब्स और लॉक के समझौते से उत्पन्न राज्य का स्वरूप यांत्रिक और व्यक्तिवादी है, रूसो के समझौते से उत्पन्न राज्य का स्वरूप आंगिक और समष्टिवादी है। रूसो के समझौते द्वारा उत्पन्न राज्य केवल एक साधन मात्र नहीं होता, अपितु वह एक नैतिक और सामूहिक प्राणी भी होता है। जिसका अपना जीवन होता है, अपनी इच्छा होती है, एवं अपना अस्तित्व होता है।

Scanned by CamScanner

(5) रूसो के सामाजिक समझौता किसी विशेष समय में होने वाली एकाकी घटना नहीं अपितु निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है क्योंकि इससे मनुष्य का स्वभाव नैतिक रूप से उन्नत और उच्च होता है।

(6) रूसो के सामाजिक समझौते को व्यक्ति के समस्त अधिकारों का स्रोत माना है। अधिकार नैसर्गिक नहीं होता है। अधिकार की सृष्टि राज्य करता है। अतएव स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति के अधिकार राज्य व्यक्तियों को नागरिक बनने पर प्रदान करता है। राज्य से बाहर व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं होता। क्रमशः.....

Scanned by CamScanner